Water Bonds

2932. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether Government propose to float water bonds to finance national irrigation and water resource projects;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether any guidelines have been issued to the State Governments in this regard? *t*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) to (c) Proposals for issue of 'Bonds' to raise finances for the irrigation projects were received from, some State Governments in the Union Ministry of Finance. As the total investi-ble resources for the market borrowing programme, both for the Central and State Governments was limited, the union Ministry of Finance informed State Governments concerned that there was no scope for allowing additional allocation to the State Governments over and above the borrowing programme as already approved. However, it has been decided to allow State level public sector undertakings to issue bonds in conformity with the guidelines of Securities and Exchange Control Board of India.

Allocation of Water from Inter-State Rivers

2933. SHRI SANJAY DALMIA : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to refer to the answer to Starred Question 194 given in the Rajya Sabha on the 5th August, 1994 and state :

(a) whether Government propose to bring forward a legislation in regard to the sharing/allocation of water among the States from Inter-State rivers; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) and (b) The draft national policy guidelines for water allocation of inter-State rivers as approved by the National Water Board has been included in the agenda for the next meeting of National Water Resources Council for its adoption. However, no legislation is proposed to be brought forward to implement these guidelines. The inter-State disputes for sharing of inter-State waters will continue to be resolved in accordance with the existing Constitutional provisions.

बाढ़ को रोकने हेतु राष्ट्रीय आयोग द्वारा की गई सिफारिशें

2934. **श्री आस मोहम्मद : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ को रोकने हेतु राष्ट्रीय आयोग ने क्या-क्या सिफारिशें की थीं ;

(ख) सरकार ने इन सिफारिशों में से किन-किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) अभी तक किन-किन सिफारिशों को लागू किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने अपनी रिपोर्ट (1980) में 207 दीर्घावधिक और अल्पावधिक सिफारिशें की थीं। इनमें से 8वीं योजना के लिए बाढ़ प्रबन्ध योजना तैयार करने के वास्ते गठित कार्यदल द्वारा अभिज्ञात की गई 25 सिफारिशें विवरण के रूप में संलग्न हैं (नीचे देखिए)। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्रीय अभिकरणों को भेज दिया गया था।

विवरण

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की मुख्य सिफारिशें

क्रम सं०	सिफारिश संख्या	सिफारिश
1.	4	विद्यमान और भावी बाढ़ नियंत्रण कार्यों के निष्पादन के मूल्यांकन के उद्देश्य से आंकड़े प्रभावी रूप से एकत्र किए जाएं जिससे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक तथ्यों पर उनके दीर्घावधिक निष्पादन व उनके प्रभाव पर मात्रात्मक एवं विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराई जा सके।
2.	14	अप्राधिकृत नदी तल पर खेती करने और नालों आदि में उनके अनाधिकार प्रवेश को रोकने के लिए राज्यों को कानून बनाना चाहिए और जहां ऐसे कानून पहले से ही विद्यमान हों, वहां उनके प्रवर्तन अभिकरणों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। तथापि नदी तल और पटरियों में तरबूज, सब्जियां आदि जैसी फसलों को खेती करने को सावधानीपूर्वक

क्रम सं०	सिफा-रिश संख्या	सिफारिश
		अनुमति दी जा सकती है । धाराओं, जो मुख्य नदियों में मिल जाती हैं के परित्यक्त तलों में खेती करने की पद्धति बंद की जानी चाहिए ।
3.	15	जहां नालों को अप्राधिकृत रूप से काटने के संबंध में दंडात्मक अनुच्छेद वाला उपयुक्त कानून नहीं बनाया गया है, वहां उसे बनाकर लागू किया जाना चाहिए ।
4.	21	जहां संभव हो जल आप्लावित होने वाले क्षेत्र का अनुमान लगाने के लिए बाढ़ नियंत्रण विभागों द्वारा गाज आंकड़ों के साथ कंटूर नक्शों का प्रयोग किया जाना चाहिए ।
5.	28	तटबंधों और नदी के बीच निम्नलिखित तीन श्रेणियों के क्षेत्रों के बारे में बाढ़ से हुए नुकसान की सूचना पृथक रूप से दी जाये : i. सुरक्षा प्रदान न किये गये क्षेत्र ii. सुरक्षा प्रदान किये गये क्षेत्र iii. स्थित क्षेत्र
6.	29	सुरक्षा प्रदान किए गए और सुरक्षा प्रदान न किए गए क्षेत्रों के लिए जल निकास संकुलता से प्रभावित क्षेत्र की सीमा पृथक रूप से संकलित की जानी चाहिए ।
7.	30	बाढ़ से हुए नुकसान के आंकड़ों को बेसिन और उप बेसिनवार भी संकलित किया जाए ।
8.	49	जहां कहीं आवश्यक कानून विद्यमान है वहां बाढ़ मैदान प्रबन्ध उपाय शुरू किए जाने चाहिए और अन्य राज्यों में उपयुक्त कानून बनाए जाने चाहिए ।
9.	53	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम अथवा जन जातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की तरह उपयुक्त अनुसंधान व विकास सहायता सहित डिआरा भूमि के त्वरित विकास के लिए विशेष बाढ़ प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए ।
10.	81	एक स्थायी दीर्घावधिक आधार पर इष्टतम उत्पादन के हमारी भूमि और जल संसाधन के यथासंभव अधिक से अधिक उपयोग के वास्ते बाढ़ की समस्या के संबंध में व्यापक दृष्टि-कोण समग्र व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा होना चाहिए । बाढ़ समस्या के संबंध में दृष्टिकोण गतिक व लचीला होना चाहिए ताकि यदि आवश्यक हो तो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति हमारी सामाजिक स्थितियों और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नीति में भावी सुधार किए जा सके । इस पर सभी बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम बनाते समय विचार किया जाना चाहिए । बाढ़ की समस्या के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण मानव विचारणों पर मुख्य बल के साथ होना चाहिए । राज्य इस उद्देश्य के साथ बाढ़ नियंत्रण के बारे में मास्टर योजनाएं शुरू कर सकते हैं ।
11.	92	उपाय जिनमें बाढ़ नुकसान से जीवन और सम्पत्ति की संभावना को संशोधित किए जाने का प्रयास हो पहले की मात्रा की तुलना में और अधिक रूप से अपनाये जाने चाहिए ।
12.	113	जब तक पर्याप्त अनुरक्षण सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता तब तक नया निर्माण कार्य शुरू करना मूर्खता होगा ।
13.	116	जारी योजनाओं को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर अपेक्षित सीमा तक, जो योजना और वार्षिक आबंटनों के 60 प्रतिशत से कम न हो, निधियों के आबंटन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।
14.	122	विशेष समस्याओं के लिए बने कोषों से आबंटन करते समय बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र को वरीयता दी जानी चाहिए ।
15.	132	अनुरक्षण के लिए पर्याप्त निधियां सुनिश्चित की जायें, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए सुझाए गये अनुरक्षण

क्रम सं०	सिफारिश संख्या	सिफारिश
		के वास्ते राशि को संदर्शिका के रूप में लिया जाना चाहिए। वास्तविक आवश्यकताओं और नियत किए गए मानकों के आधार पर राज्य के अधिकारियों द्वारा इनकी समीक्षा की जानी चाहिए।
16.	137	महत्वपूर्ण बाढ़ और जल निकास कार्यों के सभी केन्द्रों की दूरसंचार सम्पर्कों के द्वारा वरिष्ठ इंजीनियरी अधिकारियों एवं राज्य मुख्यालय के नियंत्रण के साथ जोड़ने के संबंध में प्रबंध किए जाने चाहिए।
17.	153	राज्यों को कानून बनाना है ताकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम विद्यमान उपबंधों को आपातिक स्थितियों के अनुरूप बनाने की दृष्टि से इस अधिनियम की धारा 17(ii) को संशोधित किया जा सके। वर्तमान में रेलवे में लागू है। इसे बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए भी लागू किया जा सकता है।
18.	167	अनुसंधान शिक्षा व प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाये जैसा कि जल संसाधन विकास, नदी विज्ञान व बाढ़ नियंत्रण के संबंध में है।
19.	176	विभिन्न जलीय संरचनाओं व अनधिकृत प्रवेशों में नदी आकृति विज्ञान व नदी प्रतिक्रिया पर वैज्ञानिक सूचना प्राप्त करने के लिए विद्यमान अनुसंधान संगठन अपने अनुसंधान अन्वेषणों को विविधिकृत करें।
20.	181	जलाशयों के अवसादन संबंधी अध्ययनों का विविधिकरण किया जाना चाहिए।
21.	186	बाढ़ नियंत्रण के लिए नई प्रौद्योगिकी और अप्रत्यक्ष क्षतियों व लाभ की मात्रा बताने की क्रियाविधि का विकास करने के वास्ते तकनीकी आर्थिक अनुसंधान प्रायोजित किया जाना चाहिए।
22.	189	जहाँ भूमि प्रयोगकर्ताओं और युवा विद्यार्थियों का प्रशिक्षण शुरू किया जाए वहाँ बाढ़ विज्ञान केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए।
23.	191	चक्रवात की संभावना वाले क्षेत्रों में मानव क्रियाकलापों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
24.	197	कष्टों को कम करने के वास्ते एक राष्ट्रीय परिषद बनायी जानी चाहिए।
25.	204	विशेषज्ञों द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर आंकड़ एकत्र किए जाना जारी रखा जाना चाहिए। तटीय अनुसंधान इंजीनियरी केन्द्र केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे को एकत्र किये गये आंकड़ों की उपयोगिता व विश्वसनीयता का आवधिक मूल्यांकन करना चाहिए तथा जहाँ कहीं आवश्यक हो वहाँ उपयुक्त मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए।

सरदार सरोवर परियोजना

2935. श्रीमती आनन्दीबेन जैठाभाई पटेल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरदार सरोवर के विस्थापितों को गुजरात एवं मध्य प्रदेश में बसाने हेतु सरकार ने क्या योजनाएं बनाई है ;

(ख) अब तक गुजरात के किन-किन स्थानों पर मध्य प्रदेश के विस्थापितों को बसाया गया है ; और

(ग) उनका क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और कितने परिवारों को बसाया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पो० के० थुंगन) : (क) नर्मदा जल विवाद अधिकरण ने सरदार सरोवर परियोजना के परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित किए है। परियोजना से प्रभावित परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों ने उनके लिए बहुत अधिक उदार पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन पैकेजों का प्रस्ताव किया है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए बहुत विस्तृत योजना/कार्य योजना तैयार की गई है। पात्र परिवारों को गृह भूखण्ड और कृषि भूमि का आबंटन करने के अलावा परियोजना से प्रभावित परिवारों को निर्वाह भत्ता, अनुग्रह राशि, पुनर्वास अनुदान, उत्पादक परिसम्पत्तियाँ तथा प्राथमिक स्कूल, कुएं, हैंडपम्प, ट्रांजिट शेड, बीमा रक्षण और विद्युतीकरण जैसी नागरिक सुविधाएं प्रदान की है। परियोजना से प्रभावित कुछ व्यक्तियों को रोजगार भी प्रदान किया गया है।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।